प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स ...262/22... दिनांक ...14.7.2022...

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018
(2) अधिनियम भा.द.सं. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ...259... समय ...5.45PM...
(2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 07.07.2022 समय 9.38 ए.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 04.07.2022 समय 04.00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण पश्चिम दिशा, लगभग 417 किलोमीटर
(2) पता– तहसील कार्यालय गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज)
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

परिवादी

(1) नाम : श्री मिठ्ठालाल प्रजापती
(2) पिता का नाम : श्री नवला जी प्रजापती
(3) आयु : 60 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : व्यापार
(7) पता : ग्राम मजावडी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पिता श्री केशवदेव शर्मा जन्म दिनांक 27–10–1991 निवासी ग्राम पोस्ट डोमई तहसील सरमथुरा जिला धोलपुर तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल छाली, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल मजावडी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	6500 रूपये	आरोपी श्री चंद्रप्रकाश पटवारी के द्वारा

परिवादी श्री मिठ्ठालाल की ग्राम मजावडी में स्थित कृषि भूमि की पत्थरगढी करने की एवज में दिनांक 29–06–2022 की विडियोरिकॉर्डिग में 6500/– रूपये मांग कर ग्रहण करना। मांग सत्यापन दिनांक 7–7–22 के दौरान पूर्व में ग्रहण किये गये 6500 रूपये के लिए सहमति व्यक्त करना तथा शंका हो जाने से रिश्वत राशि हेतु परिवादी से सम्पर्क नहीं करना

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 6500 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,
उदयपुर

विषय :– पटवारी द्वारा रिश्वत मागने पर कानुनी कार्यवाही बाबत

महादेयजी,

उपरोक्त विषय अनुसार निवेदन है कि मुज प्रार्थी की गांव मजावडी मुझ प्रार्थी की गांव मजावडी में मेरे नाम लगभग 75 विसवा ओर मेरी पत्नी लक्ष्मी के नाम लगभग 40 विसवा कृषि भूमि है जिस पर पत्थर गढी करवाने के लिये जब में पटवारी श्री चन्द्रप्रकाश जी पटवार हल्का मजावडी से मिला तो पटवारी साहब ने मेरे वाजीब काम पत्थर गडी के लिये खरचे पानी के लिये 10,000 हजार रूपये मागे ये रकम पटवारी ने मेरे वाजीब काम के बदले रिसवत के तोर पर मांगी ताः 29–6–2022 को जब पत्थरगडी करने मेरी जमीन पर आये तो मुझसे पत्थर गडी कि फीस के ना पर 6500 रूपये ले लिया और अब मुझसे 3500 रूपये रिसवत राशी और मांगी जा रही है मै अपने वाजीब काम के लिये भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, बल्की रिसवत लेते हुये रंगे हाथ पकडाना चाहता हूं मेरी पटवारी से कोई रंजीश नहीं है और नहीं कोई लेने देन बकाया है। ताः 29–6–2022 को पटवारी को द्वारा 6500 रूपया लेते हुये मेने मेरे मोबाईल से विडियो बना लिया था जो मै पेश कर रहा हूं कृपया कानूनी कार्यवाही करावे।''

भवदीय
एसडी
मिठ्ठालाल नवला जी प्रजापती(कुमार)
उम्र 60 बरस नीवासी मजावडी
तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)
9898196091, 7859849094

ता. 4–7–2022 एसडी विशाल माथुर एसडी जितिन चौहान

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 04–07–2022 को समय करीब 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मीठालाल पुत्र श्री नवलाजी प्रजापति उम्र–60 वर्ष निवासी मजावडी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक डां. सोनू शेखावत को एक हस्तलिखित मय हस्ताक्षरशुदा रिपोर्ट पेश इस आशय की पेश की, कि ''मुझ प्रार्थी की गांव मजावडी में मेरे नाम लगभग 75 विसवा ओर मेरी पत्नी लक्ष्मी के नाम लगभग 40 विसवा कृषि भूमि है जिस पर पत्थर गढी करवाने के लिये जब में पटवारी श्री चन्द्रप्रकाश जी पटवार हल्का मजावडी से मिला तो पटवारी साहब ने मेरे वाजीब काम पत्थर गडी के लिये खरचे पानी के लिये 10,000 हजार रूपये मागे ये रकम पटवारी ने मेरे वाजीब काम के बदले रिसवत के तोर पर मांगी ताः 29–6–2022 को जब पत्थरगडी करने मेरी जमीन पर आये तो मुझसे पत्थर गडी कि फीस के ना पर 6500 रूपये ले लिया और अब मुझसे 3500 रूपये रिसवत राशी और मांगी जा रही है मै अपने वाजीब काम के लिये भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, बल्की रिसवत लेते हुये रंगे हाथ पकडाना चाहता हूं मेरी पटवारी से कोई रंजीश नहीं है और नहीं कोई लेने देन बकाया है। ताः 29–6–2022 को पटवारी को द्वारा 6500 रूपया लेते हुये मेने मेरे मोबाईल से विडियो बना लिया था जो मै पेश कर रहा हूं कृपया कानूनी कार्यवाही करावे।'' उक्त लिखित रिपोर्ट को परिवादी को पढकर सुनाई जिस पर परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त करते हुए रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखी जाना एवं रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। परिवादी के द्वारा उपरत लिखित रिपोर्ट के साथ उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर के द्वारा पत्थरगढी किये जाने से संबंधित आदेश की छायाप्रतियां प्रस्तुत की। उक्त छायाप्रतियों पर परिवादी के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया जाने से हालात उच्चाधिकारियों को जरिये दूरभाष

निवेदन किये गये। जिस पर मामले में अग्रिम कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक को करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके उपरान्त परियादी से मजिद दरियाफ्त की गई तो परियादी ने बताया कि ''दिनांक 29-6-2022 को मांग मजावडी स्थित मेरे खेत पर पत्थरगडी करने हेतु पटवारी श्री चन्द्रप्रकाश एवं भू अभिलेख निरीक्षक श्री अमरसिंह शक्तावत आये थे। जिस पर आधी अधूरी पत्थर गडी करने के उपरान्त मेरे से फीस के रूप में 10,000 रूपये रिश्वत मांगने लगे। जिस पर मेरे पास 6500 रूपये ही होने पर मैने मजबूरी वश पटवारी श्री चन्द्रप्रकाश को उनके मांगने पर दिये। जिसे श्री चन्द्रप्रकाश पटवारी द्वारा अपने दोनो हाथों से ग्रहण करने के उपरान्त अपनी पहनी हुई शर्ट की बायी जेब में रखे। उक्त लेन देन के दौरान भू अभिलेख निरीक्षक श्री अमर सिंह शक्तावत भी मौजूद थे। उक्त लेन देन का विडियो मैने मेरे मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी एम-21 में रिकॉर्ड किया था। उक्त विडियो अभी मेरे मोबाईल में है जो मै आपको पेश कर रहा हूँ।'' इस प्रकार उक्त विडियो इस ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित होने से ब्यूरो के श्री करणसिंह हैड कानि को तलब कर परियादी के मोबाईल को ब्यूरो के लेपटाप से कनेक्ट करा लेपटाप में रोप किया गया। तत्पश्चात् श्री टीकाराम कानि को तलब कर कार्यालय हाजा के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर परियादी को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझायी गयी। तत्पश्चात श्री टीकाराम कानि एवं परियादी श्री मीठालाल का आपस में परिचय कराया गया तथा श्री टीकाराम कानि. को परियादी के मोबाईल नम्बर से भी अवगत करवाया गया। इस पर श्री टीकाराम कानि को हिदायत दी कि वह दिनांक 5-7-2022 को ब्यूरो से डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर गोगुन्दा पहुंच परियादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करे। तत्पश्चात् समय 05.45 पी.एम. पर परियादी श्री मीठालाल को गोपनीयता बरतने एवं मांग सत्यापन के सम्बन्ध में आवश्यक हिदायत देते हुए रूखसत किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 5-7-2022 को समय करीब 07.00 ए.एम. पर श्री टीकाराम कानि. को कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परियादी श्री मीठालाल से सम्पर्क कर संदिग्ध से मांग सत्यापन वार्ता हेतु गोगुन्दा के लिए रवाना किया। बाद मांग सत्यापन वार्ता कानि. टीकाराम व परियादी श्री मीठालाल उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। श्री टीकाराम कानि. ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं गोगुन्दा पहुंच परियादी श्री मीठालाल से सम्पर्क किया। परियादी को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया। तत्पश्चात् परियादी ने उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर सुरक्षित अपने पास रखते हुए रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु समय करीब 10.30 ए.एम. पर तहसील गोगुन्दा में रवाना किया। मैं तहसील के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परियादी के मांग सत्यापन वार्ता कर वापस आने के इन्तजार में रहा। जिस पर समय करीब 11.08 ए.एम. पर परियादी तहसील कार्यालय गोगुन्दा से बाहर आकर मुझे टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैंने अपने पास सुरक्षित रख दिया। जिसके उपरांत परियादी ने मुझे बताया था कि पटवारी साहब श्री चंद्रप्रकाश मुझे तहसील में मिले। जिनसे रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता हो गयी। जिस पर हम दोनो रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित हुए है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परियादी से वार्ता के संबंध में पूछा गया तो परियादी ने कानि के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि ''श्री चन्द्रप्रकाश पटवारी साहब ने मेरे से मेरी जमीन की पत्थरगडी के सम्बन्ध में बात करते हुए मैंने उनसे कहा कि साढे छः हजार तो दे दिये है बाकी के बचे पुरे अथवा पांच सौ रूपये कम करो। जिस पर पटवारी ने मुझसे कहा कि जो आपकी इच्छा हो।'' तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना गया तो पटवारी श्री चंद्रप्रकाश के द्वारा परियादी से रिश्वत के संबंध में स्पष्ट मांग नहीं है। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा परियादी गवाहान के उपस्थित आने पर तैयार करवाई जाएगी। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। पटवारी श्री चंद्रप्रकाश से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में स्पष्ट वार्ता नहीं होने से पुनः वार्ता करायी जाएगी। मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परियादी को यह हिदायत देकर रूखसत किया गया कि पटवारी श्री चंद्रप्रकाश को तहसील कार्यालय गोगुन्दा पर आने की सूचना जरिये दूरभाष ब्यूरो के श्री टीकाराम कानि को देवें।

तत्पश्चात् दिनांक 6-7-2022 को समय करीब 04.00 पी.एम. पर श्री टीकाराम कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि परियादी ने मुझे बताया कि ''आज पटवारी श्री चंद्रप्रकाश तहसील में नहीं आया है। किन्तु कल उसके आने की पूरी संभावना है।'' जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री टीकाराम को हिदायत दी गयी कि दिनांक 7-7-22 को प्रातः गोगुन्दा पहुंच परियादी से संपर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करे।

तत्पश्चात् दिनांक 7-7-2022 को समय करीब 07.15 ए.एम. पर श्री टीकाराम कानि. को कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री मीठालाल से सम्पर्क कर संदिग्ध से मांग सत्यापन वार्ता हेतु गोगुन्दा के लिए रवाना किया। जिस पर बाद मांग सत्यापन वार्ता करवा कानि. टीकाराम व परिवादी श्री मीठालाल उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। श्री टीकाराम कानि. ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं गोगुन्दा पहुंच परिवादी श्री मीठालाल से सम्पर्क किया। परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर समय करीब 9.38 एएम पर श्री चंद्रप्रकाश पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु तहसील कार्यालय गोगुन्दा के लिए रवाना किया था मैं तहसील कार्यालय के आसपास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रहा। जिस पर समय 10.08 एएम पर परिवादी तहसील कार्यालय गोगुन्दा से बाहर आकर मुझे टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैंने अपने पास सुरक्षित रख दिया। जिस पर हम दोनो रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित हुए है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी से वार्ता के संबंध में पूछा गया तो परिवादी ने कानि के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि "श्री चंद्रप्रकाश पटवारी ने मुझे कहा कि आप इतने दिनो से मेरे को दे रहे हो मैंने कहा नहीं चाहिए जिस पर मैंने उनसे कहा कि आप बोले दस दे दो तो मैंने साढे छ तो दिये जिस पर आरोपी पटवारी ने मुझे कहा कि आपसे यू बोला कि दे ही दो" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी के द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा परिवादी, गवाहान के उपस्थित आने पर तैयार करवाई जाएगी। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। उक्त कार्यवाही में आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की तलबी की जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिय की जाएगी। परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 13-7-2022 को समय करीब 12.02 पी.एम.को पुलिस निरीक्षक ब्यूरो के अन्य राजकार्य से बाहर होने से अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये दूरभाष परिवादी से वार्ता कर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। जिस पर समय करीब 01.00 पी.एम. पर उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु श्री अशोक कुमार कानि 07 को रवाना किया गया तथा समय करीब 2.00 पी.एम. पर श्री अशोक कुमार कानि मय दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय हुए। श्री अशोक कुमार कानि ने निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर से स्वतंत्र गवाह के संबंध में जारी पत्र पेश किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना स्वयं का परिचय देते हुए दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री जितिन चौहान पुत्र स्व. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान निवासी- 26, ईस्ट समता विहार अम्बामाता भाखी तितरडी उदयपुर पुलिस थाना सविना उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक तथा दूसरे ने अपना नाम श्री विशाल माथुर पुत्र स्व. श्री भूपनेन्द्र भारती निवासी-54/423, न्यू विद्यानगर, श्री.जी. विहार हिरण मगरी सेक्टर-4, उदयपुर पुलिस थाना हिरणमगरी उदयपुर हाल-वरिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर होना बताया। दोनो गवाहान को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात् समय 3.40 पी.एम. पर तलबिदा परिवादी श्री मीठालाल उपस्थित कार्यालय हुआ। जिस पर परिवादी श्री मीठालाल का कार्यालय कक्ष में पूर्व से बैठे श्री जितिन चौहान एवं श्री विशाल माथुर से आपस में परिचय कराया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी के समक्ष ही श्री जितिन चौहान एवं श्री विशाल माथुर से ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने हेतु सहमति चाही गयी तो दोनो ने अपनी-अपनी सांखिक सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात परिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक 4-7-22 को पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाई तो परिवादी ने उक्त रिपोर्ट अपनी स्वयं की हस्तलिपि में लिखी होकर शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार करते हुए रिपोर्ट पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया। परिवादी के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की थी। जिस पर उक्त लिखित रिपोर्ट एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत फत्तरगढी से संबंधित आदेशों की छायाप्रतियों पर दोनो गवाहान के भी हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात् समय करीब 4.00 पी.एम. पर दोनो गवाहान के समक्ष ही परिवादी ने पुलिस निरीक्षक को बताया कि पटवारी श्री चंद्रप्रकाश को मेरे द्वारा करायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है और वो मेरे से किसी प्रकार से संपर्क भी नहीं कर रहा है और तहसील कार्यालय में भी नहीं आ रहा है। इसके द्वारा आईन्दा रिश्वत ली जाने की भी संभावना नहीं है। परिवादी के

कथन अनुसार एवं आरोपी श्री चंद्रप्रकाश पटवारी के द्वारा भी अब तक परिवादी से कोई संपर्क नहीं किया है। इससे भी साफ जाहिर होता है कि आरोपी श्री चंद्रप्रकाश पटवारी रिश्वत राशि लेनदेन नहीं करेगा। जिस पर परिवादी द्वारा दिनांक 4-7-22 को मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया गया विडीयो रिकॉर्डिंग जिसे ब्यूरो के लेपटॉप में सेव किया गया। उक्त लेपटॉप में सेव विडीयो रिकॉर्डिंग को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर दिखाया एवं सुनाया गया तो परिवादी ने दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त विडियो में परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने वाले व्यक्ति श्री चन्द्रप्रकाश पटवारी होना बताया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि उक्त विडियोरिकॉर्डिंग में श्री चंद्रप्रकाश पटवारी के द्वारा रिश्वत राशि 500-500 रुपये के 13 नोट कुल 6500 रुपये ग्रहण करना स्वीकार किया। उक्त विडियो रिकॉर्डिंग की मूल एवं डब सीडी तैयार की गयी। मूल सीडी को चलाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री करणसिंह हैड कानि से तैयार करवायी गयी। मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर परिवादी एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सीडी कवर में सिलचिट किया गया। परिवादी ने बताया कि उक्त विडियो दिनांक 29-6-22 को मैंने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी को हिदायत दी गयी कि "उक्त विडियोरिकॉर्डिंग को आप अपने मोबाइल फोन में सेव रखे। वक्त जरूरत माननीय न्यायालय द्वारा चाहने पर प्रस्तुत करे।" तत्पश्चात् समय करीब 4.30 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर जिसमें परिवादी एवं आरोपी श्री चंद्रप्रकाश पटवारी के बीच हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के श्री करणसिंह हैड कानि से मंगवाया जाकर उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा दिनांक 5-7-22 की रिकॉर्डशुदा वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार की गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री करणसिंह हैड कानि से तैयार करवायी गयी। मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर परिवादी एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सीडी कवर में सिलचिट किया गया। तत्पश्चात् समय 5.30 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री चंद्रप्रकाश पटवारी के मध्य दिनांक 7-7-22 हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा दिनांक 7-7-22 की रिकॉर्डशुदा वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार की गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री करणसिंह हैड कानि से तैयार करवायी गयी। मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर परिवादी एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सीडी कवर में सिलचिट किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 6.30 पी. एम. पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 5-7-22, 7-7-22 एवं लेपटॉप में सेव विडियोरिकॉर्डिंग को एक मेमोरी में सेव किया जाकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 7.00 पी.एम. पर उक्त ट्रेप कार्यवाही से संबंधित मालखाना आर्टिकल जमा मालखाना कराने हेतु मालखाना प्रभारी श्री मुनीर मोहम्मद को संभलाया गया। इसके उपरान्त परिवादी को हिदायत दी कि आईन्दा पटवारी श्री चंद्रप्रकाश के द्वारा रिश्वत राशि लेन देन के लिये सम्पर्क करे तो तुरन्त ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होवे इसके उपरान्त परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत देते हुए पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय से रूकसत किया। हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किये।

परिवादी श्री मीठालाल के बताये अनुसार पटवारी श्री चंद्रप्रकाश को ब्यूरो द्वारा करायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है और आरोपी पटवारी श्री चंद्रप्रकाश मेरे से किसी प्रकार से संपर्क भी नहीं कर रहा है और तहसील कार्यालय में भी नहीं आ रहा है। उसके द्वारा आईन्दा रिश्वत ली जाने की भी संभावना नहीं है।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि परिवादी श्री मीठालाल के पत्थरगढी करवाने की एवज में परिवादी से श्री चंद्रप्रकाश पटवारी के द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध दिये गये प्रार्थना पत्र से पूर्व में परिवादी ने उसके मोबाइल फोन से विडियोरिकॉर्डिंग की गयी थी। उक्त विडियोरिकॉर्डिंग में आरोपी श्री चंद्रप्रकाश पटवारी एवं परिवादी श्री मीठालाल के बीच वार्ता होकर वार्ता के दौरान आरोपी श्री चंद्रप्रकाश पटवारी ने 500-500 रुपये के 13 नोट कुल 6500 रुपये ग्रहण करना पाया गया है। अतः पुलिस निरीक्षक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र एवं विडियोरिकॉर्डिंग के आधार पर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन दिनांक 5-7-22 को कराया

गया जिसमें आरोपी श्री चंद्रप्रकाश के द्वारा रिश्वत राशि के मांग की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई। जिस पर दिनांक 7-7-22 को पुनः रिश्वत राशि के मांग का सत्यापन कराया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता में श्री चंद्रप्रकाश पटवारी ने परिवादी को कहा कि "आप इतने दिनो से मेरे को दे रहे हो मैंने कहा नहीं चाहिए" जिस पर परिवादी ने उनसे कहा कि "आप बोले दस दे दो तो मैंने साढे छ तो दिये", जिस पर आरोपी पटवारी श्री चंद्रप्रकाश ने परिवादी से कहा कि "आपसे यू बोला कि दे ही दो" इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में 7-7-22 में आरोपी श्री चंद्रप्रकाश पटवारी के द्वारा पत्थरगढी के लिए परिवादी से ग्रहण किये गये रिश्वत राशि के लिए सहमति व्यक्त करना पाया गया।

इस प्रकार आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश पटवारी, पटवार मण्डल छानी अतिरिक्त चार्ज मजावडी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री मीठालाल से दिनांक 29-06-2022 की विडियोरिकॉर्डिंग में 6500/- रूपये मांग कर ग्रहण करना। मांग सत्यापन दिनांक 7-7-22 के दौरान पूर्व में ग्रहण किये गये 6500 रूपयो के लिए सहमति व्यक्त करना तथा शंका हो जाने से रिश्वत राशि हेतु परिवादी से सम्पर्क नहीं करना प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 के तहत प्रभाषित है।

अतः आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा पिता श्री केशवदेव शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट डोमई तहसील सरमथुरा जिला धोलपुर तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल छानी, अतिरिक्त चार्ज मजावडी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने की कृपा करायें।

(डॉ. सोनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो. उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री केशवदेव शर्मा, तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल छाली, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल मजावडी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 362/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3145-49 दिनांक 14.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. जिला कलक्टर, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

14.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।